बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(उर्दू निदेशालय)

आदेश

निबंधित/फैक्स   का० आ० सं० उ०नि०– 70/09....39......../रा०, पटना, दिनांक 21.5.14

श्री मो० जावीद अनवर, सहायक उर्दू अनुवादक–सह–नाजिर, जोकीहाट प्रखण्ड, अररिया के विरूद्ध इन्दिरा आवास की राशि को अनियमित रूप से डेहटी पैक्स में जमा करने के फलस्वरूप उन्हें निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही चलाने की अनुशंसा जिला पदाधिकारी, अररिया ने अपने पत्रांक– 22 दिनांक 31.01.09 द्वारा सक्षम प्राधिकार से की।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय आदेश सं०– 16/रा० दिनांक 22.05.09 के अधीन श्री मो० जावीद अनवर, सहायक उर्दू अनुवादक–सह–नाजिर, जोकीहाट प्रखण्ड, अररिया को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश जिला पदाधिकारी, अररिया को प्रदत्त किया गया।

श्री अनवर के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित अभिलेख एवं जाँच–प्रतिवेदन को जिला पदाधिकारी, अररिया ने अपने पत्रांक– 332/स्था० दिनांक 08.03.2010 द्वारा सक्षम प्राधिकार को अंतिम निर्णयार्थ उपलब्ध कराया।

श्री अनवर के विरूद्ध यह आरोप है कि उन्होंने डेहटी पैक्स में अनियमित रूप से खाता खोलकर इन्दिरा आवास की राशि जमा की, इन्दिरा आवास की मार्गदर्शिका का उल्लंघन किया तथा उप विकास आयुक्त, अररिया के निदेश की अवहेलना की। उक्त अधिरोपित आरोपों को संचालन पदाधिकारी ने सही पाया।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम– 18 (3) के तहत संचालन पदाधिकारी के जाँच–प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री अनवर से विभागीय ज्ञापांक– 68/रा० दिनांक 19.02.2014 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। उनके द्वारा समर्पित अभिकथन एवं जाँच–प्रतिवेदन की समीक्षा, सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी तथा उसे अस्वीकृत किया गया।

संचालन पदाधिकारी का जाँच–प्रतिवेदन, आरोप–पत्र एवं श्री अनवर के लिखित अभिकथन की तुलनात्मक समीक्षा की गयी, जिसमें निम्न तथ्य प्रकाश में आयें :–

1. श्री अनवर के विरूद्ध प्रथम आरोप यह है कि उन्होंने डेहटी पैक्स में अनियमित रूप से खाता खोलकर इन्दिरा आवास की राशि जमा की। संचालन पदाधिकारी का मत है कि श्री अनवर के कार्यकाल में विभिन्न चेकों द्वारा 135.00 (एक करोड़ पैतीस लाख) रुपये डेहटी पैक्स में जमा किए गए, इसमें 118.00 लाख (एक करोड़ अठारह लाख) रुपये का गबन हुआ। गबन का आरोप प्रमाणित है।

19/5/14   19/5/14

2. श्री अनवर के विरूद्ध दूसरा आरोप यह है कि इनके द्वारा मार्गदर्शिका का उल्लंघन किया गया। इस संबंध में श्री अनवर द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष दिया गया तर्क यह है कि इन्दिरा आवास की मार्गदर्शिका जो 01.04.04 से लागू है, जिसकी जानकारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दी। संचालन पदाधिकारी ने श्री अनवर के तर्क को अस्वीकृत करते हुए यह तर्क दिया कि यदि श्री अनवर मार्गदर्शिका का अनुपालन करते तो यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। यह आरोप भी प्रमाणित है।

3. श्री अनवर के विरूद्ध तीसरा आरोप यह है उन्होंने उप विकास आयुक्त, अररिया के निदेश का उल्लंघन करते हुए डेहटी पैक्स में इन्दिरा आवास की राशि जमा की। इस संबंध में श्री अनवर ने तर्क दिया है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने उन्हें मौखिक निदेश दिया था चेक को डेहटी पैक्स में जमा करना है, जिसे संचालन पदाधिकारी ने अस्वीकृत कर दिया। यह आरोप भी प्रमाणित है।

इस प्रकार श्री अनवर ने सरकारी निदेश की अवहेलना करते हुए मो०– 135.00 लाख (एक करोड़ पैतीस लाख) रुपये की राशि डेहटी पैक्स में जमा की। फलस्वरूप 118.00 लाख (एक करोड़ अठारह लाख) रुपये का भुगतान नहीं हो सका और राशि का गबन हुआ।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में श्री मो० जावीद अनवर, निलम्बित, सहायक उर्दू अनुवादक–सह–नाजिर, जोकीहाट प्रखण्ड, अररिया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम– 14 (ix) के आलोक में तात्कालिक प्रभाव से पदच्यूत (Dismiss) किया जाता है और गबन की राशि मो०– 118.00 (एक करोड़ अठारह लाख) रुपये के 1/3 (एक तीहाई) की वसूली नियमानुसार श्री मो० जावीद अनवर से जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा नियमानुसार की जायेगी।

ह०/–

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।

ज्ञाप सं०– उ०नि०– 70/2009......211......**/रा०, पटना, दिनांक** ....21.5.14....

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, अररिया को उनके पत्रांक– 332/स्था०, दिनांक 08.03.2010 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. **प्रतिलिपि** :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जोकीहाट प्रखण्ड, जिला– अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. **प्रतिलिपि** :– श्री मो० जावीद अनवर, पदच्यूत सहायक उर्दू अनुवादक, जोकीहाट प्रखण्ड, अररिया/ग्राम– सिकटीहार, पो०– सोन्या, जिला– किशनगंज को निबंधित डाक द्वारा सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

19/5/14

19/5/14

4. **प्रतिलिपि :–** सरकार के सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

5. **प्रतिलिपि :–** आई०टी० मैंनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विभागीय बेवसाईट पर अपलोड हेतु दी जाती है।

19/5/14

20/5/14
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।

19/5/14

E:\Shakil\Mukhtar\Office Order On- 70-09- Date- 19-05-2014.doc